# फिलीस्तीन-इजराइल समस्या की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

**प्रो0 सतीश चन्द्र पाण्डेय**,
आचार्य,
रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग,
दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

अरब–यहूदी संघर्ष वास्तव में पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों की आपसी प्रतिद्वंदिता तथा फूट डालो और राज करो नीति का ही परिणाम है। वर्तमान इजराइल द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पश्चिमी देशों के समर्थन के कारण अस्तित्व में आया। यह पूरा का पूरा क्षेत्र फिलीस्तीन के रूप में जाना जाता था। यहाँ 90 प्रतिशत से अधिक आबादी अरब मुस्लिमों की थी। जहाँ तक यहूदी लोगों की बात है 19वीं सदी तक इनका कोई अपना देश अथवा राज्य नहीं था। यहूदी लोग यूरोप के विभिन्न देशों और अमेरिका में बसे हुए थे। यहूदी लोगों का मुख्य व्यवसाय ब्याज पर ऋण देना था। इसलिए इन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और इन पर अत्याचार भी किये जाते थे। 19वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में कुछ यहूदी नेताओं द्वारा अत्याचारों से मुक्ति के लिए एक अपने यहूदी राज्य की स्थापना की बात सोची गयी। फिलीस्तीन में जायन (Zion) नामक पहाड़ी पर यहूदियों के प्रसिद्ध राजा दाऊद तथा उसके उत्तराधिकारियों का निवास स्थान था इसलिए इसी के आस–पास के क्षेत्र में यहूदी राज्य की स्थापना की बात सोची गयी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यहूदी नेताओं ने प्रयास प्रारम्भ किये और इसे एक आन्दोलन का स्वरूप प्रदान किया जिसे जायनवाद (Zionism) आन्दोलन के नाम से जाना जाता है। 18886 में डा0 थियोडोर हर्ज्ल (Theodore Herzl) के प्रयासों से बाजेल में पहली विश्व जायनवादी (Zionist) कांग्रेस आयोजित की गयी। इस कांग्रेस में यहूदी लोगों से फिलीस्तीन में बसने का आह्वाहन किया गया और वहाँ एक यहूदी राज्य की स्थापना के आन्दोलन में सहयोग देने की अपील की गयी। धीरे–धीरे इस आन्दोलन को कुछ पश्चिमी शक्तियों का समर्थन मिलना शुरू हुआ। इस कड़ी में ब्रिटेन प्रथम था। फिलीस्तीन प्रथम विश्व युद्ध तक तुर्क साम्राज्य के अधीन था। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्र संघ ने फिलीस्तीन को एक अधिदेशाधीन (Mandate) क्षेत्र के रूप में इंग्लैण्ड को सौंप दिया था। ग्रेट ब्रिटेन ने फिलीस्तीन में अपने अधिकारों का उपयोग दोहरी राजनीति के अन्तर्गत किया। ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध के समय अरबों से यह वादा किया कि युद्ध में विजय के बाद फिलीस्तीन को अरब

राष्ट्रों के साथ मिला दिया जायेगा और अरब तुर्क शासन से मुक्त हो जायेंगे और दूसरी तरफ यहूदी समाज को फिलीस्तीन में बसने का निमंत्रण दे दिया। ब्रिटेन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार और उसके यहूदी समाज का दबाव पड़ रहा था। ब्रिटेन शुरू से ही एक अलग यहूदी राष्ट्र की स्थापना की बात करता था। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो यहूदी नाजियों से त्रस्त थे वे भागकर फिलीस्तीन में आते गये। परिणामस्वरूप फिलीस्तीन में यहूदियों की संख्या बढ़ती गयी। बाहर से आये यहूदी स्थानीय अरब लोगों से अधिक शिक्षित, सम्पन्न और कर्मठ थे। अतः उन्होंने कृषि, उद्योग आदि में प्रगति की और सम्पूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपने नियंत्रण में कर लिया जिसके फलस्वरूप अरबों और यहूदियों के बीच तनाव पैदा होता गया।

ब्रिटेन को यहूदी आन्दोलन से सहानुभूति थी। वह अरबों के बीच में एक ऐसे देश का सृजन करना चाहता था जो उसके प्रभाव में रह सके। विश्व युद्ध के समय फिलीस्तीन का विस्तृत भू–भाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। यहूदियों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रगट करने के लिए तत्कालिन ब्रिटिश विदेश मंत्री लार्ड वेल्फोर ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि–''ब्रिटिश सरकार फिलीस्तीन में यहूदी जाति के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना के पक्ष में है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह भरसक प्रयास करेगी।'' इसी घोषणा को वेल्फोर घोषणा के नाम से जाना जाता है। वेल्फोर की इस घोषणा को विश्व के यहूदियों ने फिलीस्तीन उन्हें सौंपने का ब्रिटिश वायदा मान लिया और यहूदी लोग राष्ट्रीय घर की व्याख्या एक राज्य के रूप में करने लगे। इस घोषणा के बाद दुनिया भर से यहूदी फिलीस्तीन में आकर बसने और बसाये जाने लगे। 1919 में फिलीस्तीन के कुल आबादी का 10 प्रतिशत जहाँ यहूदी थे वहीं 1935 तक इनकी संख्या 30 प्रतिशत हो गयी। फलतः अरबों और यहूदियों का द्वन्द बढ़ता गया और स्थिति इतनी खराब हो गयी कि ब्रिटेन इन्हें अनुशासित रखने में असमर्थ हो गया। फलतः इस समस्या के समाधान के लिए 1937 में निर्मित पील कमीशन ने फिलीस्तीन को तीन भागों में विभक्त करने की सिफारिश की। इसके एक भाग पर अरब राज्य दूसरे भाग पर यहूदी राज्य तथा तीसरे पर जेरूसलम। लेकिन यह एक अव्यवहारिक सिफारिश थी। अतः ब्रिटेन को अरब और यहूदी के बीच ही विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। अप्रैल 1947 में ब्रिटेन ने फिलीस्तीन समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस समस्या के समाधान के लिए मई 1947 में एक समिति गठित

की। इस समिति ने भी पील कमीशन के सिफारिशों को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने दो तिहाई बहुमत से स्वीकार कर लिया और 1 अगस्त 1948 से पूर्व ब्रिटिश शासन समाप्त करने का निर्णय दिया। यहूदियों ने इस निर्णय को स्वीकृति प्रदान कर दी लेकिन अरबों ने इस निर्णय को ठुकरा दिया। अरब इस बात पर तुले हुए थे उनकी मातृभूमि में कोई विदेशी राज्य स्थापित न हो। दूसरी तरफ यहूदी लोग अपना राज्य कायम करने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। फलतः दोनों पक्षों ने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए संघर्ष का सहारा लिया और फिलीस्तीन गृह–युद्ध का केन्द्र बन गया। 14 मई 1948 को ब्रिटिश सरकार ने फिलीस्तीन को संरक्षित राज्य के दर्जे से मुक्त कर दिया और फिलीस्तीन से हट जाने की घोषणा कर दी। ब्रिटेन के हटते ही यहूदियों ने तत्काल यहूदी राष्ट्र (इजराइल) की स्थापना की घोषणा कर दी।